भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-854

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है ।

प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करना

854. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में हर घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धरित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, उक्त कार्य हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि अभिनिर्धरित और व्यय की गई है;

(घ) विद्युतीकृत हो चुके और अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए घरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से यह काम पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ड.) : भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार से 12,320.00 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित

16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" शुरू की थी।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की कि 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। देश भर में सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से 31.03.2019 तक 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके बाद, सात राज्यों ने 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में, कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। राज्यों से इन घरों को सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है। इनमें से, 31.08.2020 तक 15.65 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किस्त (किस्तों) में जारी निधियों का उपयोग की सूचना देने और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में निधियाँ जारी की जाती हैं। तदनुसार, सौभाग्य के अंतर्गत गत तीन वर्षों और 31.08.2020 तक चालू वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में 5,117 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। सौभाग्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित अनुदान **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्कीम की शुरूआत से अर्थात् 11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	लद्धाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748
16	मेघालय	1,99,839
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुद्दुचेरी	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	18,62,736
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,62,84,350**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम कं अंतर्गत 31 मार्च, 2019 से पहले चिह्नित इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**गैर-विद्युतीकृत घर (पहले अनिच्छुक)**	**विद्युतीकृत घर**		**कुल**	**विद्युतीकृत करने के लिए शेष गैर-विद्युतीकृत घर (31.08.2020 तक)**
			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान	**01.04.2020 से 31.08.2020 के दौरान**		
1	असम	200,000	197,807	0	197,807	2,193
2	छत्तीसगढ़	40,394	29,534	7,341	36,875	3,519
3	झारखंड	200,000	131,880	7,195	139,075	60,925
4	कर्नाटक*	39,738	26,824	0	26,824	0
5	मणिपुर*	1,141	5,367	0	5,367	0
6	राजस्थान*	228,403	212,786	0	212,786	0
7	उत्तर प्रदेश	1,200,003	788,083	158,135	946,218	253,785
कुल		**1,909,679**	**1,392,281**	**172,671**	**1,564,952**	**3,20,422**

* कर्नाटक, मणिपुर एवं राजस्थान राज्यों ने 100% घरों के विद्युतीकरण की पुष्टि कर दी है और विद्युतीकरण किए जाने वाले वास्तविक घरों का शेष शून्य है।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्तूबर, 2017 में स्कीम की शुरूआत से 31.08.2020 तक सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार एवं वर्ष-वार अनुदान का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 31.08.2020 तक	कुल
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	139	14	-	153
2.	असम	42	403	121	37	603
3.	बिहार	115	199	136	17	468
4.	छत्तीसगढ़	43	219	32	27	320
5.	हरियाणा	-	-	3	-	3
6.	हिमाचल प्रदेश	-	1	3	-	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2	51	-	-	53
8.	झारखंड	70	83	4	-	157
9.	कर्नाटक	-	-	39	-	39
10.	केरल	15	-	26	13	55
11.	मध्य प्रदेश	260	147	-	-	407
12.	महाराष्ट्र	15	140	43	-	198
13.	मणिपुर	6	35	33	10	84
14.	मेघालय	-	98	88	1	187
15.	मिजोरम	-	35	-	6	41
16.	नागालैंड	5	34	-	-	39
17.	ओडिशा	76	168	-	-	245
18.	राजस्थान	-	103	76	42	222
19.	सिक्किम	-	-	1	1	2
20.	तेलंगाना	-	-	15	-	15
21.	त्रिपुरा	-	237	8	0	245
22.	उत्तर प्रदेश	864	523	26	-	1,412
23.	उत्तराखंड	13	22	7	-	43
24.	पश्चिम बंगाल	14	73	20	16	123
	कुल	**1,541**	**2,709**	**696**	**171**	**5,117**

****